न्यायालय न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात।

फौजदारी वाद सं. 143/14

सरकार बनाम मुन्ना उर्फ पप्पू।

धारा 3/5ए/8 गौ0नि0अधिनियम।

व 3/11 पशु कूरता अधि. व
295 ए भा द सं व 207 एम वी ऐक्ट

थाना सजेती ,कानपुर नगर।

आरोप

मै, विजय कुमार, न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात आप अभियुक्त मुन्ना उर्फ पप्पू को एतद द्वारा निम्न आरोप से आरोपित करता हूं।

1– यह कि दिनांक 20.12.13 समय करीव 11.30 बजे वहद स्थान कोरिया थाना सजेती कानपुर नगर मे आप बध हेतु गाय लादकर कूरता पूर्वक बांधकर ले जा रहे थे जिसे पुलिस द्वारा आपके कब्जे से गाय बरामद हुई। इस प्रकार आपने गौबध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 एवं धारा 11 पशु कूरता अधिनियम के अन्तर्गत तहत दण्डनीय अपराध किया जा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप द्वारा गायो को कूरता पूर्वक बांधकर बध करने के लिए ले जाया जा रहा जिससे हिन्दुओ की धार्मिक भावना को ठेस पहुचा इस प्रकार आपने भा द सं की धारा 295ए के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर द्वारा विना कागजात के गाडी चलाते हुए पुलिस द्वारा पाया गया। इस प्रकार आपने एम वी ऐक्ट की धारा 207 क अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि आप का विचारण उपरोक्त आरोप मे इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक 21.7.2017

(विजय कुमार),

न्यायिक मजि0,घाटमपुर,

कानपुर देहात।

आरोप पढकर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक 21.7.2017

(विजय कुमार),

न्यायिक मजि0,घाटमपुर,

कानपुर देहात।